जिला कलैक्टर 84/17
श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 84/2017 अनवानी श्री रमन शर्मा मार्फत वर्मा अपार्टमेंटस नजदीक (रॉक कैसल होटल) एवं नजदीक डडवाल बिल्डिंग, कच्ची घाटी, शिमला (हिमाचल प्रदेश) बनाम तहसीलदार, अनूपगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

20–12–2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रमन शर्मा उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, अनूपगढ़ के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री रमन शर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 16.09.2017 के द्वारा तहसीलदार, अनूपगढ़ से निम्न सूचना चाही थीः–

> **Please supply me the following documents under RTI Act, 2005.**
>
> **1- Copy of intkal of Murabba No. 1/26, chak No. 18-H at Anoopgarh, Distt. Sri Ganganagar, Rajasthan.**
>
> **2- Copy of Khatadari of this land.**
>
> **3- Name the persons in whose name mutation of this land has entered in the revenue department. Authenticated copy regarding this may be supplied.**

अपीलार्थी ने यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत चाही गई सूचनाएं 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो जाने पर भी लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे एवं सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के तहत उन्हे दण्डित किया जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 3256 दिनांक 23.11.2017 प्रस्तुत किया है कि आवेदक का सूचना अधिकार अधिनियम का आवेदन पत्र उनके कार्यालय में दिनांक 25.09.2017 को प्राप्त हुआ है जिसकी सूचना समय अवधि में पत्र सं0 2779 दिनांक 10.10.2017 को उसे भिजवा दी गई थी। प्रार्थी ने अक्टूबर माह के अंत में उक्त सूचना मिलने के बाद तहसील कार्यालय में फोन पर भी फोटो प्रतियां साफ नही होने की बात कही थी तो उसे बताया गया था कि उसे भिजवाया गया ईन्तकाल संख्या 18 काफी पुराना वर्ष 1989 का है जो पुराना कागज होने की वजह से फोटो कॉपी काली एवं अस्पष्ट आती है। वहटस अप के जरिये भी उक्त ईन्तकाल की फोटो प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी गई है।

तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ द्वारा अपने पत्र संख्या 2779 दिनांक 10.10.2017 के द्वारा अपीलार्थी को निम्नानुसार सूचना उपलब्ध करवाई गई हैः–

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलैक्टर 84/17
श्रीगंगानगर

> उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस पत्र के संलग्न आप द्वारा चाहे गये इंतकालो की प्रतियां (दो) सूचना के अधिकार के तहत भेजी जा रही है। आप द्वारा खातेदारी की नकल भी चाही गई है जबकि कृषिभूमि गैरखातेदार दर्ज है।
>
> सलंग्नः— इंतकाल सं. 18 व 241 चक 18एच

तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ के उक्त प्रतिवेदन एवं अपीलार्थी को दिये गये उक्त उत्तर दिनांक 10.10.17 के अनुसार ईन्तकाल की प्रतियां डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है और बाद में वहटस अप पर भी फोटो प्रति भिजवा दी गई है शेष सूचना के संबंध में कृषि भूमि गैरखातेदारी दर्ज होने के कारण खातेदारी की नकल उपलब्ध नही करवाई गई है। इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ द्वारा अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिएः अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। 2181-82 / 28.12.17

यह आदेश आज दिनांक 20.12.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर